घरेलू कामगार पंचायत संगम

(ट्रेड यूनियन एक्ट–1926 के अधीन पंजीकृत संख्या DRTU/ND/24/Lab/2017 तारीख 14-11-2017)
सिद्दीकी बिल्डिंग, बाड़ा हिन्दूराव, 6122, बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली–110006
फोन कार्यालय : 23510042, 9810810365
पत्राचार का पता : बी–19, सुभावना निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली–34 फोनः 27013523, 27022243

प्रिय घरेलू कामगारों,

- **घरेलू कामगार कौन हैं?** • **उनके काम के हालात कैसे हैं? और**
- **उनके काम के हालात सुधारने के लिये क्या क्या करना चाहियें?**

यह समझाने के लिये पहले हम बहुत से सवाल उठायेंगे फिर उनके समाधान बतायेंगे तब ही घरेलू कामगारों के काम के हालात और उन्हें ठीक करने का रास्ता सही ढंग से समझा जा सकता है।

(i) सभी घरेलू कामगारों को वेतन सहित साप्ताहिक छुट्टी क्यों नहीं मिलती?

(ii) बीमार होने पर छुट्टी का वेतन क्यों काट लिया जाता है?

(iii) बुढ़ापे में घरेलू कामगारों के लिये पेन्शन की व्यवस्था क्यों नहीं है या कैसे हो सकती है?

(iv) दुघर्टना होने पर उनके लिये निर्माण मजदूरों जैसे मुआवजे की व्यवस्था क्यों नहीं है?

(v) बहुत सी 'महिला निर्माण मजदूरों' को निर्माण कार्य में काम नहीं मिलने पर घरेलू कामगार का पेशा अपनाना पड़ता है, वे अवश्य जानना चाहेगी कि निर्माण मजदूरों की तरह घरेलू कामगारों के बच्चों को शिक्षा सहायता क्यों नहीं मिलती?

(vi) अधिकांश राज्य सरकारें **घरेलू कामगारों के लिये न्यूनतम मजदूरी** तय क्यों नहीं करती?

(vii) घरेलू कामगार मजदूरी नहीं मिलने पर **श्रम विभाग में क्यों नहीं शिकायत कर सकती?** घरेलू कामगार अचानक काम से हटा दिये जाने पर अन्य मजदूरों की तरह श्रम विभाग में क्यों नहीं शिकायत कर सकती?घरेलू कामगार घरों और अपार्टमेन्ट में सुबह से शाम तक काम करती हैं और उनके छोटे बच्चों को उनके घरों में बिना किसी की देखभाल के रहना पड़ता है।

(viii) घरेलू कामगारों के लिये **काम के स्थान के पास उनके छोटे बच्चों की देखभाल के लिये 'बालवाड़ी' की व्यवस्था कैसे हो सकती है?**

सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे समाज में और हमारे देश में दो तरह की काम की व्यवस्था है; **संगठित क्षेत्र** और **असंगठित क्षेत्र**। **संगठित क्षेत्र** वह होता है जहाँ काम करने वाले जवानी से बुढ़ापे तक निरन्तर स्थाई रूप से नौकरी करते हैं जैसे सरकारी नौकरियां या स्कूल, बैंक और बड़ी कम्पनियों की नौकरियां। इन संस्थाओं में काम करने वालों को वेतन–सहित साप्ताहिक छुट्टी देने के लिये, बीमारी में छुट्टी का वेतन देने के लिये, बुढ़ापे में पेंशन देने के लिये, दुर्घटना होने पर मुआवजा देने के लिये पूरे संगठन के स्तर पर व्यवस्था करने वाले **'मैनेजमेन्ट'** की एक टीम होती है।

इस तरह के **'संगठित क्षेत्र'** के विपरीत **असंगठित क्षेत्र** में नौकरी स्थाई न होकर थोड़े या छोटे समय के लिये होती है जैसे कुछ घन्टे, कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल के लिये अर्थात् **असंगठित क्षेत्रों में काम का सम्बन्ध अस्थाई या कुछ समय के लिए होता है और बार–बार बदलता रहता है। इसलिये कुछ समय के लिये काम देने वाले नियोक्ता लम्बे समय की सामाजिक सुरक्षा, जैसे पेंशन आदि की व्यवस्था नहीं कर सकते।**

इसलिये उपरोक्त सभी सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि **क्या** असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले दसियों करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिये, जो कुल काम करने वाले मजदूरों का 97 प्रतिशत है, और **घरेलू कामगारों के लिये संगठित क्षेत्र जैसी या निर्माण मजदूरों जैसी सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था हो सकती है?**

घरेलू कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था अवश्य हो सकती है परंतु पहले हम उपरोक्त सवालों के जवाब समझाना चाहेंगे ताकि वास्तविक समस्या और वास्तविक समाधान सभी घरेलू कामगारों को अच्छी तरह समझ आ जाये।

उपरोक्त सवालों के जवाब

1) घरेलू कामगार कौन हैं?

घरेलू कामगार वे सब हैं जो नियोक्ता के घर में रहकर 24 घंटे काम के लिये उपलब्ध रहते हैं और वे सब भी जो अपने घर में रहकर एक ही नियोक्ता के घर सुबह से शाम आठ घण्टे या उससे भी अधिक काम करते हैं और वे सब भी जो अपने घर रहकर चार–पांच या अधिक नियोक्ताओं के घर में कुछ–कुछ घन्टे प्रतिदिन काम करते हैं। **इन तीनों तरह के घरेलू कामगारों में अधिकांश महिला कामगार हैं।**

2) घरेलू कामगारों के काम के हालात कैसे हैं?

घरेलू कामगारों के काम के हालात **पूरी तरह अमानवीय** हैं। उनके **काम के घन्टे तय नहीं** किये जाते, उनकी **न्यूनतम मजदूरी** भी तय नहीं की जाती, उनकी **सामाजिक सुरक्षा** अर्थात् उनके लिये **वेतन सहित साप्ताहिक छुट्टी** की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिये **वेतन सहित बीमारी की छुट्टी** की कोई व्यवस्था नहीं, उनके लिये **बीमारी के और मातृत्व लाभ** की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके **बुढ़ापे के लिये पेंशन** की कोई व्यवस्था नहीं है। निर्माण मजदूरों की तरह उनके बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं हैं। नियोक्ता के घर रह कर काम करने वाले घरेलू कामगारों को तो 18 से 20 घन्टे प्रतिदिन काम करना पड़ता है फिर भी उनके लिये वेतन सहित सप्ताह में एक दिन के पूरे आराम और वेतन सहित सालाना छुट्टियों की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सी आदिवासी लड़किया तो नियोक्ता के घर **बिलकुल गुलामी की तरह जीवन** बिताती हैं और

उनका वेतन भी प्लेसमेन्ट एजेन्ट हजम कर जाते हैं। पुलिस और सरकार इस ओर पूरी चुप्पी साधे रहती है। घरेलू कामगार अपने काम की परिस्थिति के बारे में और अपने वेतन न मिलने पर या कम मिले वेतन के बारे में श्रम विभाग या श्रम न्यायालय की सहायता नहीं ले सकते हैं।

3) घरेलू कामगारों को वेतन सहित साप्ताहिक छुट्टी क्यों नहीं मिलती, बीमार होने पर छुट्टी का वेतन क्यों काट लिया जाता है, वेतन सहित सालाना छुट्टियां क्यों नहीं मिलती?

क्योंकि घरेलू कामगार किसी एक व्यक्ति या परिवार के साथ काम करती है या कुछ परिवारों के साथ कुछ कुछ घन्टे प्रति दिन काम करती हैं और उनके काम का नियमन करने के लिये अभी तक कोई कानून नहीं बना है जो त्रिपक्षिय बोर्ड द्वारा उनके काम का नियमन कर से, उनके काम के हालात तय कर सके, उनके काम के घन्टे तय कर सकें, उनकी न्यूनतम मजदूरी तय कर सकें, उनके प्लेसमेन्ट एजेन्सियों का नियमन कर सके, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिये आवश्यक कोष इकट्ठा कर सकें जैसे निर्माण मजदूरों का कोष इकट्ठा हो रहा है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा दे सकें।

यदि घरेलू कामगार और उनके संगठन एकजुट होकर अभियान चलायेंगे तो उनके लिये भी एक समुचित केन्द्रिय कानून बन सकता है। घरेलू कामगारों के कानून से घरेलू कामगारों को भी बुढापे में पेंशन मिल सकती है, दुर्घटना होने पर निर्माण मजदूरों की तरह मुआवजा मिल सकता है, घरेलू कामगारों के बच्चों को शिक्षा सहायता मिल सकती है, घरेलू कामगारों की न्यूनतम मजदूरी तय हो सकती है, घरेलू कामगार की मजदूरी नहीं मिलने पर बोर्ड की अदालत घरेलू कामगारों की रोकी हुई मजदूरी दिलवा सकती है, घरेलू कामगार काम से अचानक निकालने का मुआवजा दिलवा सकती है, घरेलू कामगारों के काम के स्थान पर बच्चों की देखभाल के लिये बालवाड़ी बनवा सकती है।

4) क्या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पचास करोड़ कामगारों के लिये और उसमें से पांच करोड़ घरेलू कामगारों के लिये निर्माण मजदूरों के कानून की तरह सामाजिक सुरक्षा देने वाला त्रिपक्षिय बोर्ड बन सकता है?

अवश्य बन सकता है परन्तु पहले इसके लिये घरेलू कामगारों के एक बड़े हिस्से को निर्माण मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने वाले त्रिपक्षिय बोर्ड के महत्व को समझना होगा। घरेलू कामगारों को यह भी समझना होगा कि निर्माण मजदूरों ने किस तरह अभियान चलाकर 1996 का अपना कानून बनवाया और किस तरह उस कानून को पूरे देश में लागू करवाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय की मदद ली। तब ही घरेलू कामगार अपने लिये समुचित केन्द्रीय कानून बनवाने का स्पश्ट रास्ता बनवा सकते हैं।

घरेलू कामगारों के संगठनों को यह भी समझना चाहिये कि घरेलू कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिये एक समुचित कानून बनवाने का उनका अभियान निर्माण मजदूरों को अपने लिये कानून बनवाने के लिये 1985 से 1996 के अभियान से कहीं अधिक कठिन होगा क्योंकि लगभग सभी सांसद, विधायक और सभी केन्द्रीय व राज्य स्तरीय नौकरशाह खुद घरेलू कामगारों के नियोक्ता हैं जबकि निर्माण मजदूरों से विधायकों और नौकरशाहों के सम्बन्ध में इस तरह लगातार नहीं होता। इसलिये यह बहुत महत्वपूर्ण है कि घरेलू कामगारों के अभियान में घरेलू कामगारों के संगठनों में एकता को सबसे अधिक महत्व दिया जाये। घरेलू कामगारों के अभियान में छोटे–छोटे मतभेदों पर भिन्न संगठन बनाना (multiplicity of organization) घरेलू कामगारों के समुचित कानून के बनने में केवल देर लगायेगा। इसलिये घरेलू कामगारों के संगठनों को नये अनुभवहीन संगठनों के साथ जाने के बजाय एक सशक्त, परिपक्व और अनुभवी नेतृत्व के साथ जुडना चाहिये।

घरेलू कामगार पंचायत संगम क्या है?

घरेलू कामगार पंचायत संगम – दिल्ली में काम करने वाली घरेलू कामगारों की पंजीकृत ट्रेड यूनियन है जो घरेलू कामगारों के राष्ट्रीय मंच NPDW से सम्बन्धित है।

घरेलू कामगार पंचायत संगम का गठन निर्माण मजदूर पंचायत संगम के सशक्त, परिपक्व और अनुभवी नेतृत्व द्वारा किया गया है जो दिल्ली से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु व पांडिचेरी तक विभिन्न प्रान्तों में काम करती हैं और सारे देश में निर्माण मजदूरों के त्रिपक्षिय बोर्डों का ठीक से काम करना सुनिश्चित करती रही हैं। निर्माण मजदूर पंचायत संगम का गठन निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा 1988 में किया गया था।

निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने 1985 से लम्बे अभियान द्वारा देश के दस करोड़ निर्माण मजदूरों के लिये 1996 के निर्माण मजदूरों के दो केन्द्रीय कानून बनवाये गये हैं। निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने 2006 में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इन कानूनों का पालन कराना 6 से बढ़ाकर 36 प्रान्तों और केन्द्रशासित प्रदेशों में सुनिश्चित किया है।

घरेलू कामगार पंचायत संगम और घरेलू कामगारों का राष्ट्रीय मंच (NPDW) दोनों घरेलू कामगारों को देश भर के संगठनों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि घरेलू कामगारों के लिये केन्द्रीय सरकार एक अलग समुचित कानून बनाये। घरेलू कामगार पंचायत संगम और घरेलू कामगारों का राष्ट्रीय मंच दोनों घरेलू कामगारों की सामाजिक सुरक्षा को एक मिले–जुले कानून में डालने का विरोध करते हैं क्योंकि घरेलू कामगारों के काम की परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के अन्य सभी घटकों से अलग है। घरेलू कामगारों के लिये उनके काम की परिस्थितियों के अनुकूल अलग से कानून बनवाने की जरूरत है। घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता इसलिये घरेलू कामगारों की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था घरेलू कामगारों से योगदान लेकर नहीं बल्कि घरेलू कामगारों के नियोक्ताओं से योगदान लेकर की जानी चाहिये जो केवल घरेलू कामगारों के सशक्त आन्दोलन से सम्भव है। घरेलू कामगार पंचायत संगम, घरेलू कामगारों का राष्ट्रीय मंच और इसके घटक घरेलू कामगारों का एक सशक्त राष्ट्रीय आन्दोलन संगठित करने का काम कर रहे हैं।

अप्रैल–अगस्त 2019 में घरेलू कामगार पंचायत संगम एक विशेष सदस्यता अभियान चलायेगी और चुनाव में भाग ले रहे सभी राजनैतिक संगठनों से घरेलू कामगारों के लिये एक समुचित केन्द्रीय कानून के समर्थन का आन्दोलन चलायेगी और घरेलू कामगारों का राष्ट्रीय मंच केन्द्र सरकार द्वारा घरेलू कामगारों के समुचित केन्द्रीय कानून बनवाने का आन्दोलन चलायेंगे।

सभी घरेलू कामगारों से अनुरोध है कि वे घरेलू कामगार पंचायत संगम के सदस्य बनें और इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

सुजाता मधोक, अध्यक्ष
मोबाइल–9810533990

सुभाष भटनागर, संगठन सचिव
मोबाइल–9810810365

बिबियानी मिन्ज, सचिव
मोबाइल–9650289841